

I 5258/2018



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

जारीकर्ता अधिकारी.....
Issuing Office Name Hazratganj
पद-.....
Designation - Chief Manager
हस्ताक्षर -
Signature -
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया / Central Bank of India
हजरतगंज, लखनऊ / Hazratganj, Lucknow

62

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP04987942300499Q
Certificate Issued Date : 30-Aug-2018 11:00 AM
Account Reference : NONACC (BK)/ upcbibk02/ HAZRATGANJ/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUCBIBK0205970535065928Q
Purchased by : ARVIND KUMAR YADAV AND USHA YADAV
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : ALAKNANDA ENCLAVE 3/T4-205 3BHK + SERVANT SECTOR
3AWDH VIHAR YOJNA SAHEED PATH LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 56,35,286
(Fifty Six Lakh Thirty Five Thousand Two Hundred And Eighty Six only)
First Party : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party : ARVIND KUMAR YADAV AND USHA YADAV
Stamp Duty Paid By : ARVIND KUMAR YADAV AND USHA YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,95,000
(Three Lakh Ninety Five Thousand only)



.....Please write or type below this line.....



Arvind Kumar Yadav


Usha Yadav



Arvind Kumar Yadav

क्रेता

Usha Yadav



TQ 0005867052

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, पंचम तल, वृन्दावन योजना लखनऊ

संख्या 6552 / सं०प्र० अवध विहार योजना / विक्रय विलेख / फ्लैट सं०-3/T4-205 / दिनांक 07-09-18

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव

एवं श्रीमती ऊषा यादव पत्नी श्री अरविन्द कुमार यादव

निवासी-ग्राम शाहबुददीनपुर थाना केराकत जिला जौनपुर, उ०प्र०

विषय अलकनन्दा एन्क्लेव 3BHK+Servant फ्लैट संख्या-3/T4-205 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित अलकनन्दा एन्क्लेव 3BHK+Servant फ्लैट संख्या-3/T4-205 का विक्रय विलेख रू० 395000.00 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर०के० सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

कृते आवास आयुक्त

पृ०सं०




/ उक्त /

तद् दिनांक

प्रतिलिपि :- सब रजिस्ट्रार, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित अलकनन्दा एन्क्लेव 3BHK+Servant फ्लैट संख्या-3/T4-205

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव एवं श्रीमती ऊषा यादव पत्नी श्री अरविन्द कुमार यादव निवासी-ग्राम शाहबुददीनपुर थाना केराकत जिला जौनपुर, उ०प्र०</p>	
					<p>विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।</p>	
					<p><i>Arbit Kumar</i></p>	
					<p><i>Sachin</i></p>	



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No. : 2017/92083/07467

To
Arvind Kumar Yadav
अरविन्द कुमार यादव
S/O: Late. Rajaram Yadav
House Number-64Kh
Shahabuddinapur
Sahabuddinpur
Kerakat, Jaunpur
Uttar Pradesh - 222142
9451212000

24/01/2015



KH174139968F7

17413996



Arvind Yadav

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

7029 7182 0662

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार

Government of India

अरविन्द कुमार यादव
Arvind Kumar Yadav



जन्म तिथि / DOB: 19/01/1974
पुरुष / Male

7029 7182 0662



आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 भारत सरकार
 Unique Identification Authority of India
 Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/92083/07466

To
 उषा यादव
 Usha Yadav
 W/O: Arvind Kumar Yadav
 House Number-54Kh
 Shahabuddinapur
 Sahabuddinpur
 Kerakat
 Kerakat Jaunpur
 Uttar Pradesh 222142
 9454080663

13/01/2015
 208029940



MP060299405FT

Usha Yadav



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

2077 6534 7534

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
 Government of India



उषा यादव
 Usha Yadav
 जन्म तिथि / DOB : 03/02/1978
 महिला / Female



2077 6534 7534

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



अंकित कुमार
Ankit Kumar
जन्म तिथि / DOB : 15/08/1990
पुरुष / MALE

8221 9677 4382



आधार - आम आदमी का अधिकार

Ankit Kumar



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O राज कुमार, ग्यासी उर्फ
गाधी, बागपत, उत्तर प्रदेश,
250601

Address:
S/O Raj Kumar, Gyasri Ur
Gadhi, Baghpat, Uttar Pradesh,
250601



1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in


P.O. Box No.1947,
Bengaluru-560 501

परिचय-पत्र
क्र.सं. : 0810

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

निर्गमन तिथि : 01-11-2012

नाम : सचिन कुमार सिंह
पिता/पति का नाम : स्व. आनन्द बहादुर सिंह
पद नाम : दफ्तरदार
कार्यिक आई.डी. : 101236
कार्यालय का पता : निर्माण खण्ड 731, लखनऊ
जन्म तिथि : 01.08.1985


Rudra
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

Sachin

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 17 माह 09 वर्ष 18 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं। एक पक्ष और श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र स्व० राजाराम यादव एवं श्रीमती ऊषा यादव पत्नी श्री अरविन्द कुमार यादव निवासी-ग्राम शाहबुददीनपुर थाना केराकत जिला जौनपुर, उ०प्र० जिसको एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में अवध विहार योजना नामक मुहल्ले के सेक्टर-3 में निर्मित एस.एफ.एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के अलकनन्दा एन्क्लेव 3BHK+Servant का फ्लैट संख्या-3/T4-205 और चूंकि उक्त परिषद ने कुल मूल्य ₹0 56,35,286.00 (₹0 छप्पन लाख पैंतिस हजार दो सौ छियासी मात्र) जिसका आधा ₹0 28,17,643.00 (₹0 अठठाईस लाख सत्रह हजार छः सौ सैंतालिस मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या-3/T4-205) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव ₹0 56,35,286.00 (₹0 छप्पन लाख पैंतिस हजार दो सौ छियासी मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या-3/T4-205 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- 1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

Ana amphas
Usha Yadav

क्रेता

[Signature]
विक्रेता

क्रमशः 2 पर

(2)

- 3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- 4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
- 5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- 6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लैटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-
- (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
- (ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- 7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या-3/T4-205) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।



Amal Chandra
Usha Yadav

क्रेता

क्रमशः 3 पर

विक्रेता

- 8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।
- 9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति **संख्या-3/T4-205** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।
- 10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।
- 11) क्रेता को फ्लैट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से **दो वर्ष** तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू० **1627.00** प्रति माह "कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। **अलकनन्दा एन्क्लेव** में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से **2 वर्ष** के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से अनुरक्षण करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से **2 वर्ष** तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिवार्य होगा।
- 12) सुपर एरिया पर एक रूपया प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह देना होगा। सीढ़ियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्टम का रख-रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- 13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 4 पर

- 15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 16) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड-प्रथम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, में निर्धारित जमा धनराशि एवं कनेक्शन चार्ज जमा करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे अलकनन्दा एन्वलेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- 17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिंग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- 18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- 19) क्लब, ओपेन एरिया पार्किंग आदि कामन एरिया उ0प्र0 अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- 20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारो दिवारों से लगे हुये फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- 21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 23) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।

A. Sanyal
Usha Yadav

क्रेता

क्रमशः 5 पर


[Signature]
विक्रेता

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 5635286 स्टाम्प शुल्क- 395000 बाजारी मूल्य - 4700000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060


श्री अरविन्द कुमार यादव,
पुत्र श्री स्व० राजाराम यादव
व्यवसाय : नौकरी

निवासी: ग्राम शाहबुद्दीनपुर थाना केराकत, जिला जौनपुर, उ०प्र०

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/09/2018 एवं 01:40:46 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



विनीत दीक्षित (प्रभारी)


उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

07/09/2018

रजेश यादव

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



अनुसूचित "क"
विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण
वार्ड:-

प्रतिफल की धनराशि (रूपये में)
मूल्य रू० **56,35,286.00**
स्टाम्प पेपर रू० **3,95,000.00**

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू० **56,35,286.00** ब्याज/दण्ड ब्याज रू० **0.00** कुल रू० **56,35,286.00** आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:- (1) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश सं० 772/स्टाम्प-लिपिक-2015 दिनांक 15-12-2015 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० **3,95,000.00** के ई-स्टैम्प प्रमाण पत्र संख्या-**IN-UP04987942300499Q DATE 30/08/2018** पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:- (2) आवंटित फ्लैट्स सं० **3/T4-205** का जो निर्गत पत्र संख्या-**2725** दिनांक **07-06-2018** छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि० 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

अवध विहार योजना नामक मोहल्ले के
सेक्टर-03 में निर्मित **अलकनन्दा एन्क्लेव** का फ्लैट संख्या-**3/T4-205**
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1	भूमि का प्रकार	:	ग्रुप हाउसिंग
2	मोहल्ला/ग्राम	:	अवध विहार योजना
3	सम्पत्ति का विवरण	:	फ्लैट्स सं० 3/T4-205
4	टावर नं०	:	T-4
5	फ्लोर संख्या	:	2nd
6	प्रकार	:	3BHK+Servant
7	भूमि की माप	:	56.40 वर्ग मीटर
8	फ्लैट्स का निर्मित क्षेत्रफल	:	136.80 वर्ग मीटर
9	फ्लैट्स का सुपर एरिया	:	151.16 वर्ग मीटर
10	फ्लैट्स का प्रकार	:	आवासीय फ्लैट
11	कुल क्षेत्रफल	:	151.16 वर्ग मीटर
12	कुल कर्वड क्षेत्रफल	:	136.80 वर्ग मीटर
13	स्टेट्स फिनिशड/सेमी फिनिशड/अन्य	:	फिनिशड
14	प्रतिफल की धनराशि	:	56,35,286.00
15	मूल्य	:	56,35,286.00
16	बाउन्ड्री आफ दा फ्लैट्स संख्या	:	उत्तर संलग्न साईट प्लान के अनुसार दक्षिण संलग्न साईट प्लान के अनुसार पूर्व संलग्न साईट प्लान के अनुसार पश्चिम संलग्न साईट प्लान के अनुसार


A. Ananddas
Usha Yadav

क्रेता

विक्रेता

लखनऊ



राजेश यादव
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -
नियमित




(6)

“ अनुसूची -ख ”

जिसके साक्ष्य में श्री आर०के० सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक परिषद की ओर से और उसकी ओर से श्री अरविन्द कुमार यादव एवं श्रीमती रुषा यादव आशयिता संख्या-3/T4-205 के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।



Usha Yadav
क्रेता
क्रेता के हस्ताक्षर


विक्रेता



ओर से एवं उसके लिए
सक्षम अधिकारी

1. साक्षी ह० Ankit Kumar
नाम:- Ankit Kumar
पता:- Villa Post - Gadhni (Baghpat)


ह०
नाम:- (M. S. Singh)
पता:- गाँव

2. साक्षी ह०
नाम:-
पता:-



2. साक्षी:- ह०
नाम:-
पता:-

Sarbajit
योग्य सहायक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ




निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ के द्वारा आर० के० सिंह, संपत्ति प्रबंधक अधिकारी उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।




क्रेता: 1

श्री अरविन्द कुमार यादव, पुत्र श्री स्व० राजाराम यादव

निवासी: ग्राम शाहबुद्दीनपुर थाना केराकत, जिला जौनपुर, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी

Aravind Kumar Yadav



क्रेता: 2

श्रीमती ऊषा यादव, पत्नी श्री अरविन्द कुमार यादव

निवासी: ग्राम शाहबुद्दीनपुर थाना केराकत, जिला जौनपुर, उ०प्र०

व्यवसाय: गृहिणी

Usha Yadav



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अंकित कुमार, पुत्र श्री राज कुमार

निवासी: ग्यासरी उर्फ गाधी, बागपत, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी

Ankit Kumar



पहचानकर्ता : 2

श्री सचिन कुमार सिंह, योजना सहायक उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

निवासी: उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

Sachin Kumar



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

विनीत दीक्षित (प्रभारी)


उप निबंधक : सरोजनीनगर

Project : Alaknanda Enclave ,
 G.H-02 & G.H.-03, Sector-3
 Awadh Vihar Yojna, Lucknow


Office of the Executive Engineer
 Construction Division -14
 U.P. Avas Evan Vikas Parishad
 Office Complex Sector -9
 Vrindavan Yojna No.-2

Tower --T 4

9.0 M. WIDE DRIVEWAY



6.0 M. WIDE DRIVEWAY




6.0 M. WIDE DRIVEWAY

6.0 M. WIDE DRIVEWAY

TOWER-T5

Site Plan of the Flat No.: T4-205
 Type Design 3 BHK + SER. TYPE-1
 Name of the Allottee: *Usha Yadav*
 Super Builtup Area : 157.16 SQ.MT
 Proportionate Land Area: 56.40
 Builtup Area - 136.80 SQ.MT



Dimension Area/Boundary verified by J.E.

D/MAN *[Signature]*

J.E. *[Signature]*

A.E. *[Signature]*

E.M.O. *[Signature]*

ALLOTTEE *[Signature]*

Usha Yadav

पुष्टि विलेख 60

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 369 के पृष्ठ 21 से 36 तक क्रमांक 5258 पर
दिनांक 07/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



विनीत दीक्षित (प्रभारी)

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

07/09/2018

